न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–590 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 0100428572026

शिवा यादव उर्फ हर्ष यादव पुत्र नन्हे यादव
सा0मौ0–मानिया, थाना–सरायख्वाजा, जिला–जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–591 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010042862026

राजन यादव उर्फ बन्टी यादव पुत्र जयप्रकाश यादव
सा0मौ0–जंगीपुरकला, थाना–सरायख्वाजा, जिला–जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–480 / 2025
धारा–191(2), 191(3), 109(1), 3(5) बी.एन.एस.।
थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर।

06.06.2026

आवेदकगण / अभियुक्तगण शिवा यादव उर्फ हर्ष यादव व राजन यादव उर्फ बन्टी यादव द्वारा मु0अ0सं0–480 / 2025, धारा–191(2), 191(3), 109(1), 3(5) बी.एन.एस. थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर के मुकदमें में अलग–अलग जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किये गये है, जो एक ही मु0अ0सं0 एवं घटनाक्रम से संबंधित है। अतः सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही साथ किया जा रहा है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 17.08.2025 को वादी मुकदमा रौनक सिंह अपने नानी के यहां संजय सिंह कालोनी सिद्दीकपुर में गया था कि पैसे की लेनदेन की रंजिश को लेकर राज गौरव श्रीवास्तव उर्फ लाला, मानवेन्द्र प्रताप सिंह, ओमकार सिंह, शुभम तिवारी, राकेश यादव, आदित्य यादव व ओमप्रकाश यादव व 10 अन्य अज्ञात समय करीब 11:56 बजे दिन में संजय सिंह कालोनी आये तथा वादी पर जान से मारने की नियत से राज गौरव लाला व ओमकार सिंह पिस्टल से फायर कर दिये। वादी जान बचाकर भाग गया। वे लोग काफी देर तक वादी को खोजते रहे। वादी जान बचाकर मां दुर्गा स्कूल की पीछे छिप गया। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, उनका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाये जा रहे आरोप सर्वथा झूठे, आधारहीन व अविश्वसनीय है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी को न तो कोई चोट है, न कोई गोली ही लगी है। आवेदकगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य न्यायालय में लम्बित अथवा दाखिल नहीं है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से उसके ऊपर पिस्टल से फायर करने का आरोप है, जिसकी पुष्टि वादी

मुकदमा द्वारा अपने बयान में की गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध चोटहिल की आघात आख्या में lacerated wound present left occipital bone आना दर्शित है। फर्द बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं उनका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। मामले मे आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अब किसी साक्ष्य का संकलन होना शेष नहीं है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण ओमकार सिंह, कृष्णा यादव उर्फ गोलू गोलई की नियमित जमानत अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, जौनपुर द्वारा स्वीकार हो चुकी है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण शिवा यादव उर्फ हर्ष यादव व राजन यादव उर्फ बन्टी यादव द्वारा मु0अ0सं0–480/2025, धारा–191(2), 191(3), 109(1), 3(5) बी.एन.एस. थाना–सरायख्वाजा, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं। प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा मु0–50,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो प्रतिभूति सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–591/2026 पर रखी जाय। जो उस पर प्रभावी होगी।

दिनांक 06.06.2026

प्र0 सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।